...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-8-16	आज यह पत्रावली पेश हुई गैर सायल उपस्थित हुआ/नही हुआ। गैर सायल ने जवाब पेश किया/नही किया शामिल पत्रावली किया गया है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अप्रार्थी गंगा पुत्र इमामिशा जाति कुम्हार निवासी गजनेर ग्राम गजनेर के ख. न. 610 में है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज कास्त की है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी राज. भू राज. अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी किया गया नोटिस अप्रार्थी से तामिल पत्रावली शामिल है अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली में शामिल किया प्रस्तुत सबूत के अनुसार जाहिर है कि अप्रार्थी ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त की है। अतः अप्रार्थी को गंगा है राजकीय भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है। एवट प्रावधानानुसार 4.48 है भूमि का भू राजस्व 1 रू. का पच्चास गुणा तावान 224/- आर्थिक दण्ड दिया जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने कब्जाकास्त सरकार लेवे फसल निलामी पेश करने बाबत हल्का गिरदावर को आदेश दिया जावे। हल्का पटवारी को तावान वसूली कर जमा खजाने करवाने व चालान न. पेश करने बाबत लिखा जावे। टी.आर.ए. को तावान कायमी की मांग दर्ज करवाई जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 21-11-2016 को पेश की जावे। यह निर्णय दिनांक 27-8-16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत	[illegible]
21-11-16	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने के कारण पत्रावली आइन्दा दिनांक 30-11-2016 को पेश हो।	
30-11-16	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का गजनेर से बेदखली व वसूली की सूचना प्राप्त नहि हुई। को पुनः लिखा जाकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 28-12-2016 को पेश हो। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत	

Scanned by CamScanner